

प्रति - (AR)  
5.1.19

31  
9-1-19

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक : प. 10(24)आयु./2018

जयपुर दिनांक : 01 JAN 2019

::- शुद्धि आदेश :-

वर्ष 2015 में नियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 18.06.2018 में निदेशक आयुर्वेद, अजमेर के प्रस्तावानुसार निम्नांकित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के नियुक्ति दिनांक व स्थाईकरण दिनांक एवं नाम में निम्नानुसार शुद्धि किया जाता है :-

क. सं.	सूची के क. सं.	नाम आयुर्वेद चिकित्साधिकारी	जारी सूची में स्थाई किये जाने की दिनांक	शुद्धि	
				नियुक्ति दिनांक	स्थायीकरण दिनांक
1	33	श्री अभिमन्यु सिंह/ओम प्रकाश	10.08.2015	08.10.2015	08.10.2017
2	54	श्री भीखाराम/लालचन्द्र	28.09.2015	28.10.2015	28.10.2017
3	87	श्रीदयाराम न्योल/मनीराम न्योल	28.09.2015	28.10.2015	28.10.2017
4	98	श्रीमती एकता सैनी/फूलचन्द्र सैनी	08.10.2015	28.09.2015	28.09.2017
5	162	श्रीमती कुसुमलता/बलदेवगिरी	28.09.2015	29.09.2015	29.09.2017
6	171	श्री लक्ष्मण सैनी/छाजूराम सैनी	26.09.2015	28.09.2015	28.09.2017
7	190	श्री महेश कुमार शर्मा/ग्यारसीलाल शर्मा	26.09.2015	28.09.2015	28.09.2017
8	419	श्रीमती उषा जांगिड़/जगमालसिंह जांगिड़	28.09.2015	28.10.2015	28.10.2017
9	49	बलदेवराम शर्मा/शिवजीराम		बलदेवराम/शिवजीराम	
10	236	नन्द किशोर शर्मा		चन्द्रकिशोर शर्मा	

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(कुन्दन कुमार माथुर)  
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के पत्रांक 11955 दिनांक 25.07.2018 एवं 17222 दिनांक 27.11.2018 के क्रम में।
3. रक्षित पत्रावली

(अशोक नारायण शर्मा)  
सहायक शासन सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक प.1/प्रति 1/प्रति-1/चिकि0/स्थाई/2018/ 613 दिनांक 10-01-19

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज0 जयपुर
2. अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर/बीकानेर/अजमेर/
3. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर-अ/हनुमानगढ/अलवर/नागौर
4. प्रोग्रामर आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को जरिये मेल भिजवाये एवं विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करावे।
5. सामान्य पत्रावली

(आनन्द कुमार शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक